1896

LOK SABHA

BULLETIN—PART II

(General Information relating to Parliamentary and other matters)

Wednesday, July 21, 1965/*Asadha* 30, 1887 (*Saka*)

No. 1351

Notices of adjournment motions, calling attention, motions of no-confidence in the Council of Ministers etc.

The Speaker has directed that notices of adjournment motions, calling attention to matters of urgent public importance, motions of no-confidence in the Council of Ministers or any other notice required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House, should be given when the List of Business for the day is circulated. It is not possible for the Speaker to consider these notices too much in advance of the commencement of the session.

No. 1352

Arrival and Departure of His Excellency Dr. A. Milton Obote, Prime Minister of Uganda

His Excellency Dr. A. Milton Obote, Prime Minister of Uganda will arrive in Delhi (Palam Airport Civil) on Monday, the 2nd August, 1965 at 11.00 hours and will leave from the same place on Friday, the 6th August, 1965 at 09.30 hours. The arrival and departure will be ceremonial.

2. Those Members who wish to be present at the Airport may kindly intimate their names to the Parliamentary Notice Office by 26th July, 1965 so that the requisite number of invitation cards and car park labels may be obtained from the Ministry of External Affairs.

3. The Invitation Cards and Car Park Labels may please be collected from Parliamentary Notice Office on 28th July, 1965.

लोक-सभा

समाचार भाग 2

(संसदीय तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

बुधवार, 21 जुलाई, 1965/30 आषाढ़, 1887 (शक)

संख्या 1351

स्थगन प्रस्तावों, ध्यान आकर्षण, मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्तावों आदि की सूचनायें

अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया है कि स्थगन प्रस्तावों, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने, मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्तावों की सूचनायें अथवा अन्य कोई सूचना जिसे कि सभा की बैठक के आरम्भ होने से पूर्व उसी दिन देना अपेक्षित है जिस दिन कि विषय को सभा में उठाने का प्रस्ताव है, तब दी जानी चाहिये जबकि उस दिन की कार्य-सूची परिचालित कर दी गई हो। अधिवेशन के आरम्भ होने से बहुत समय पहले इन सूचनाओं पर विचार करना अध्यक्ष महोदय के लिये सम्भव नहीं है ।

संख्या 1352

यूगांडा के प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ डा० ए० मिल्टन ओबोटे का आगमन तथा प्रस्थान

यूगांडा के प्रधान मंत्री, परमश्रेष्ठ डा० ए० मिल्टन ओबोटे सोमवार, 2 अगस्त, 1965 को 11.00 बजे म० पू० दिल्ली (पालम के असैनिक हवाई अड्डे पर) पहुंचेंगे और शुक्रवार, 6 अगस्त, 1965 को 9.30 बजे म० पू० उसी स्थान से प्रस्थान करेंगे। आगमन तथा प्रस्थान समारोह पूर्ण होंगे ।

2. जो सदस्य हवाई अड्डे पर उपस्थित होना चाहें वे कृपया 26 जुलाई, 1965 तक अपने नाम संसदीय सूचना कार्यालय को भेज दें जिस से कि अपेक्षित संख्या में निमंत्रणपत्र और कार पार्क लेबल वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से प्राप्त किये जा जा सकें ।

3. निमंत्रणपत्र तथा कार पार्क लेबल संसदीय सूचना कार्यालय से कृपया 28 जुलाई, 1965 को ले लिये जायें ।

No. 1353

Public Accounts Committee—Appoinment of a Sub-Committee

The Public Accounts Committee have appointed a Sub-Committee under Rule 263(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha consisting of the under-mentioned Members:

1. Shri R. R. Morarka—Chairman
2. Shri C. L. Narasimha Reddy
3. Shri Prakash Vir Shastri
4. Shri Surendra Pal Singh
5. Shri M. P. Bhargava
6. Shri Chandra Shekhar
7. Shri Atal Bihari Vajpayee

} Members

to undertake a detailed examination of the operation of the various export promotion schemes during the period 1957—1964 with reference to para 88 of the Audit Report (Civil) on Revenue Receipts, 1965.

No. 1354

President's Recommendation under Article 117 of the Constitution of India

[Copy of letter No. F. 4-11/63-C3/II, dated the 14th July, 1965 from Shri M. C. Chagla, Minister of Education to the Secretary, Lok Sabha].

The President having been informed of the subject matter of the Bill further to amend the Antiquities (Export Control) Act, 1947, recommends under article 117(3) of the Constitution the consideration of the Bill in the Lok Sabha.

No. 1355

Contribution to the National Defence Fund

Shri Laxmi Narayan Bhanja Deo, M.P., who has been contributing Rs. 25 p.m. to the National Defence Fund *vide* Para No. 866 of. Bulletin Part II dated the 7th March, 1964, has now advised the Lok Sabha Secretariat to stop contribution with effect from the salary for the month of July, 1965.

S. L. SHAKDHER,
Secretary.

संख्या 1353

लोक-लेखा समिति—एक उप-समिति की नियुक्ति

लोक-लेखा समिति ने लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 263(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों की एक उप-समिति नियुक्त की है जोकि राजस्व प्राप्तियों, 1965 सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 88 के संदर्भ में वर्ष 1957 से 1964 तक की अवधि में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के कार्य की विस्तृत जांच करेगी :—

1. श्री रा० रा० मुरारका—**सभापति**
2. श्री नरसिम्हा रेड्डी
3. श्री प्रकाश वीर शास्त्री
4. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
5. श्री महावीर प्रसाद भार्गव
6. श्री चन्द्र शेखर
7. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(2 से 7 तक) सदस्य

संख्या 1354

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[सचिव, लोक-सभा के नाम शिक्षा मंत्री, श्री मु० क० चागला, के दिनांक 14 जुलाई, 1965 के पत्र संख्या एफ० 4-11/63–सी3/II की एक प्रति ।]

राष्ट्रपति महोदय ने, पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक की विषय-वस्तु के बताये जाने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन लोक-सभा में विधेयक पर विचार किये जाने की सिफारिश की है ।

संख्या 1355

राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान

श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव, संसद्-सदस्य ने, जो कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में 25 रुपये प्रति माह अंशदान देते रहे हैं **देखिये** दिनांक 7 मार्च, 1964 के समाचार भाग 2 की कंडिका संख्या 866, अब लोक-सभा सचिवालय से यह कहा है कि उनके माह जुलाई, 1965 के वेतन से वह अंशदान देना बंद कर दिया जाये ।

श्यामलाल शकधर,

सचिव ।

GMGIPND—LS I—744 (D) LS—22-7-65—800.